Exchange & Finance Available
Zelo Electric Scooter
Maa Bhagwati Services & Enterprises
B. No. 23, Infront of IDBI Bank,
Neemuch 9407423966, 8770664866

मालवा फर्स्ट

MALWA FIRST

स्वाभिमान ही हमारा अभिमान है

Periodicity- Weekly

PRGI Reg. No. MPHIN/2023/90883

संपादक : ऐश्वर्य शर्मा

नीमच, बुधवार

22 जुलाई 2026

वर्ष - 04, अंक - 12 - मूल्य 02 रूपए

पृष्ठ - 04

E-mail: nmh.pawan@gmail.com

Contact: 9407423966, 8770664866

Commodity: Gold 1,51,905 Silver 2,95,000 Crude Oil 5,963 Natural Gas 302.20 Aluminium 232.30 Copper 827.35

UCC बिल पास करने वाला देश का चौथा राज्य बना मध्यप्रदेश

93% जनता हमारे साथ - सीएम डॉ. मोहन यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे, नारेबाजी और तीखी बहस के बीच 'समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक' बहुमत से पारित हो गया है। कांग्रेस विधायकों के लगातार विरोध और "चंदा चोरों, गद्दी छोड़ो" के नारों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में विधेयक पर अपना वक्तव्य रखा। यूसीसी बिल पारित होने के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का प्रमुख राज्य बन गया है।

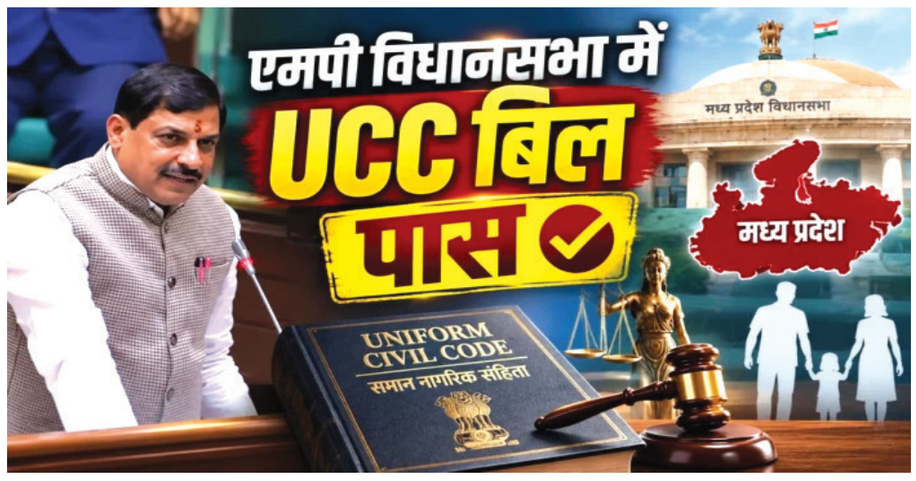

कांग्रेस वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति कर रही – विधेयक पर अपना वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई है और देश की जनता की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। सीएम ने कहा, 'आज के बाद मध्य प्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। कांग्रेसियों के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। अब इनका पाखंड और दोहरा रोल नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का रत्ती भर भी सम्मान करती है, तो उसे इस बिल का खुलकर समर्थन करना चाहिए।' मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश के 93 प्रतिशत नागरिकों ने यूसीसी का समर्थन किया है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने चौपाई का उदाहरण दिया- 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी...' और कहा कि कांग्रेस की निगाहें खराब हैं, इसलिए उन्हें सीधी बात भी तिरछी दिखाई देती है।

मसूद का संशोधन प्रस्ताव खारिज, हंगामे के बीच बिल पारित – संबोधन के दौरान सीएम ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1947 में भोपाल को भारत में मिलाने के बजाय पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की गई थी, ऐसे लोगों की मानसिकता पर सवाल उठना चाहिए। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद से अपने संशोधन प्रस्ताव पर बात रखने को कहा। हालांकि, मसूद का संशोधन प्रस्ताव सदन में खारिज हो गया। इसके तुरंत बाद ही विपक्षी हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित घोषित कर दिया। यूसीसी बिल पास होने के बाद सदन में 'मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक' पर चर्चा शुरू हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।

बहुविवाह पर रोक और विवाह का सरकारी पंजीयन अनिवार्य

- **विवाह पंजीयनः** प्रदेश की धरती पर होने वाले सभी विवाहों का शासकीय पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन न कराने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- **बहुविवाह पर प्रतिबंधः** एक पत्नी के जीवित/रहते हुए दूसरे विवाह की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह, एक पति के रहते हुए पत्नी को भी दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **समानता व सशक्तिकरणः** यह विधेयक महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देने वाला है। हालांकि, नागरिकों के सामाजिक संस्कार पहले की तरह ही चलते रहेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस कम्पनी के पदाधिकारी

लगभग 6 हजार 200 करोड़ निवेश कर प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करेगी कम्पनी लगभग 2500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मेसर्स पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंजुल शरद शाह एवं उनके सहयोगियों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों का स्वागत किया और कहा कि वे खुले मन से मध्यप्रदेश में निवेश करें, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। भेंट के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग (मप्र शासन) और कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) साईन कर आदान-प्रदान किया गया। कम्पनी का कन्ट्री हेड क्वार्टर (कॉर्पोरेट ऑफिस) नवी मुम्बई में है। कंपनी ऑप्टिकल सिस्टम्स का उत्पादन करती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया गया कि पारस कंपनी को प्रदेश की सेमीकंडक्टर पॉलिसी बेहद पसंद आई है और अपनी यूनिट लगाने के लिए कंपनी ने भूमि भी पसंद कर ली है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री एम सेलवेंद्रम, प्रबंध निदेशक, मप्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड श्री चन्द्रमौली शुक्ला एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कम्पनी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया कि वे मध्यप्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करना चाहते हैं। शुरूआती दौर में कम्पनी करीब 6 हजार 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना से 2500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि कम्पनी द्वारा भूमि का चयन कर लिया है। जल्द ही भूमि आवंटन के लिए भी प्रस्ताव देंगे। कम्पनी के बारे में मेसर्स पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस लिमिटेड भारत की अग्रणी रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, जो रक्षा, अंतरिक्ष एवं एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए स्वदेशी तकनीकों एवं उच्चस्तरीय इंजीनियरिंग समाधान विकसित एवं निर्मित करती है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस लिमिटेड भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है तथा कम्पनी के इक्विटी शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेज एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध हैं। कंपनी को रक्षा एवं उच्च परिशुद्धता विनिर्माण क्षेत्र में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है तथा कंपनी का वर्तमान मार्केट कैपिटलाईजेशन लगभग 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक है।

रामपुरा नगर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा

रामपुरा । नगर में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 29 जुलाई बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। नगर के आध्यात्मिक गुरु एवं क्षेत्रवासियों की आराध्य विभूति पंडित बालमुकुंद जी उपाध्याय 'हर-हर महादेव गुरुदेव' की तपोस्थली दत्तात्रेय मंदिर (दत्त अखाड़ा), बड़ा तालाब परिसर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिनभर विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रातःकाल से ही गुरु भक्त मित्र मंडल के तत्वावधान में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन होगा। इसके पश्चात पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए गुरुदर्शन एवं गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करने का क्रम जारी रहेगा। शाम से दत्त अखाड़ा क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे एवं गुरु प्रसादी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मप्रेमियों के शामिल होने की संभावना है। शाम के समय गुरु भक्त मित्र मंडल द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भजन-कीर्तन के माध्यम से श्रद्धालु गुरु भक्ति एवं आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लेंगे। आयोजकों ने नगर एवं आसपास के सभी श्रद्धालुओं से गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने और धर्म लाभ लेने की अपील की है।

डेंगू के खिलाफ बड़ी कामयाबी: भारत में 'Qdenga' वैक्सीन को मिली हरी झंडी

नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश में डेंगू से बचाव के लिए उपलब्ध होने वाले पहले टीके क्यूडेंगा की बिक्री को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि टाकेडा बायोफॉर्मास्युटिकल्स इंडिया के इस टीके को गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद आम लोगों के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है।

मंत्रालय के अनुसार, यह भारत का पहला डेंगू टीका है जिसे इस बीमारी से बचाव के लिए बाजार में उतारने की मंजूरी मिली है। इससे पहले सोमवार को टाकेडा बायोफॉर्मास्युटिकल्स इंडिया ने भी जानकारी दी थी कि देश के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने टीके के विपणन को स्वीकृति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने जर्मनी की टाकेडा जीएमबीएच द्वारा विकसित और

टाकेडा बायोफॉर्मास्युटिकल्स इंडिया द्वारा आयातित इस टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन को ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत निर्धारित सभी विज्ञानी मानकों पर खरा पाए जाने के बाद मंजूरी दी है। क्यूडेंगा एक लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है, जिसे रिकांबिनेंट डीएनए तकनीक से विकसित किया गया है। इसे उपयोग से पहले घोलने के लिए फ्रीज-ड्राइड पाउडर के रूप में उपलब्ध कराया जाता है और त्वचा के नीचे (सबक्यूटेनियस) इंजेक्शन के जरिए लगाया जाता है। कंपनी के मुताबिक, इस टीके को यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 42 देशों में पहले ही नियामक मंजूरी मिल चुकी है। अब तक इसकी 2.4 करोड़ से अधिक डोज वितरित की जा चुकी हैं।

ट्रक में डोडाचूरा तस्करी नाकाम : जीरन पुलिस ने पंजाब के हरमीत सिंह को दबोचा

नीमच | मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जीरन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत बेंज ट्रक से 1 क्विंटल 75 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया है। मामले में पंजाब निवासी हरमीत सिंह को गिरफ्तार कर ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। जब्त मादक पदार्थ और वाहन की कुल अनुमानित कीमत 16.25 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार मुख्यमंत्री के नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के निर्देशन में थाना प्रभारी उमेश यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सोमवार को महू-नीमच रोड स्थित हरकियाखाल पुलिस सहायता केंद्र के पास वाहन चेकिंग के दौरान भारत बेंज ट्रक (पीबी-10-एचएफ-8285) को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक के केबिन में रखे पांच काले प्लास्टिक के कट्टों से 175 किलोग्राम पिसा हुआ डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक हरमीत सिंह पिता महिंदर सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी बुलेपुर, थाना खन्ना, जिला लुधियाना (पंजाब) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। फ़िलहाल पुलिस आरोपी से अवैध डोडाचूरा कहा से लाया कहा देने जा रहा था इस बारे में पूछताछ कर रही है।

जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई

शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर मार्ग कराया गया सुगम, शिकायत का हुआ निराकरण

नीमच । कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त एक शिकायत पर राजस्व विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को पूर्णतः हटवा दिया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन में नीमच सिटी स्थित माधवगंज मोहल्ले में शासकीय मंदिर एवं चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर खेत तक आने-जाने का मार्ग

अवरुद्ध किए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायत प्राप्त होते ही राजस्व अमले द्वारा मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान शासकीय भूमि से अतिक्रमण पूरी तरह हटाकर भूमि को समतल कराया गया, जिससे शिकायतकर्ता सहित आमजन के आवागमन का मार्ग पुनः सुगम हो गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर समयबद्ध एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में 117 आवेदकों की सुनी समस्याएं

प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश

नीमच । कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 117 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव,अपर कलेक्टर श्री बी.एस. कलेश सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में धोकलखेड़ा के कवरलाल ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण फसल नुकसान का मुआवजा दिलाने, नयागांव के सत्तू धाकड़ ने गौचर भूमि एवं नाले पर हुए अतिक्रमण को हटवाने, हरकियाखाल के गजेंद्र कुमार ने निजी भूमि पर जबरन रास्ता निकालने वालों के विरुद्ध

कार्रवाई करने तथा दुधलाई की रुकमणबाई ने अपनी भूमि पर कब्जा एवं विवाद उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार आरबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नीमच के छात्र पुष्कर अहिरवार ने लंबित छात्रवृत्ति स्वीकृत कराने, बघाना के यूनुस कुरैशी ने पुत्र द्वारा प्रताड़ित कर घर से निकालने के मामले में कार्रवाई करने तथा कंजार्डा की अन्नुबाई ने अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

बरथून के अनिरुद्ध बैरागी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर मंदिर भूमि पर पुनः अतिक्रमण किए जाने, देवरी पड़दा के प्रहलाद सिंह बंजारा ने सरपंच पुत्र के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा स्कीम क्रमांक-9, नीमच की मीना सोलंकी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत कराने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए।

इसके अतिरिक्त आंत्री बुजुर्ग के ओमप्रकाश, हरकियाखाल के गजेंद्र कुमावत, जाट के मोहम्मद मुबारिक, नीमच केंट के ख्यालीराम, नीमच सिटी के दिलीप कुमार, नयागांव के दिनेश एवं राजू धाकड़, नीमच के अनुराग जोशी, कुकड़ेश्वर की ललिता तंबोली, कंजार्डा के मदनलाल सहित अन्य आवेदकों ने भी अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सभी आवेदनों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर निर्धारित समय-सीमा में प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने होटल-रेस्टोरेंटों का किया गया आकस्मिक निरीक्षण

नीमच । कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नीमच द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नयागांव एवं केसरपुरा क्षेत्र के होटल एवं रेस्टोरेंटों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 13 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी एवं टीम ने होटल जैन मधुबन,नयागांव टोल प्लाजा का निरीक्षण कर विक्रय हेतु भंडारित जीरा, काली मिर्च, अजवाइन एवं मेथीदाना के 4 नमूने लिए। इसी प्रकार श्री अन्नपूर्णा होटल, नयागांव टोल प्लाजा से सौंफ, जीरा, तिल एवं लौंग के 4 नमूने तथा होटल जाट श्री, मेन रोड केसरपुरा (तहसील जावद) से पनीर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एवं जीरा के 5 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं

मानक अधिनियम, 2006 के तहत लिए गए। निरीक्षण के दौरान तीनों प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पानी की जांच रिपोर्ट, तैयार खाद्य पदार्थों की परीक्षण रिपोर्ट तथा कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-32 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उससे संबंधित नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

Email: nmh.pawan@gmail.com
Contact: 9407423966, 8770664886

संसद का मानसून सत्र : लोकतंत्र का महायुद्ध या राष्ट्रीय सहमति का महापर्व ?

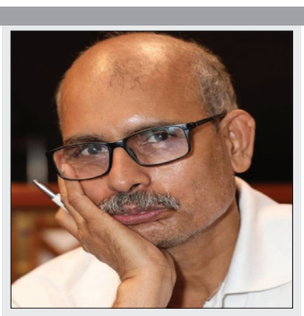

विनोद कुमार सिंह

संसद किसी एक दल,गठबंधन या सरकार की नहीं,बल्कि भारत की जनता की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक गुण हैं,परन्तु संवाद उसका प्राण है।यदि यह मानसून सत्र राजनीतिक संघर्ष के बीच भी राष्ट्रीय सहमति का मार्ग प्रशस्त करता है,तो यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का नया अध्याय सिद्ध होगा।यदि संवाद की जगह केवल टकराव ले लेता है,तो इतिहास इसे एक खोए हुए अवसर के रूप में भी दर्ज करेगा। लोकतंत्र की वास्तविक विजय सत्ता की नहीं,बल्कि संसद की गरिमा,संविधान की प्रतिष्ठा और जनविश्वास की विजय होती है।

सर्वदलीय बैठक से शुरू हुआ राजनीतिक संग्राम,महत्त्वपूर्ण विधेयकों,संवैधानिक विमर्श, परिसीमन,महिला आरक्षण, भ्रष्टाचार और जनसरोकारों के मुद्दों पर सत्ताझविपक्ष की निर्णायक परीक्षा...

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है।संविधान निमार्ताओं ने संसद को केवल कानून बनाने की संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संवाद, जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच के रूप में स्थापित किया।संसद की गरिमा केवल सत्ता पक्ष के बहुमत से नहीं,बल्कि एक सशक्त,जागरूक और उत्तरदायी विपक्ष से भी निर्मित होती है।लोकतंत्र का सौंदर्य इसी संतुलन में निहित है।सरकार जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है,जबकि विपक्ष जनमत की निगरानी करता है।दोनों की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका ही संसदीय लोकतंत्र को जीवंत बनाती है।इसी लोकतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक संसदीय सत्र से पूर्व केन्द्र सरकार सर्वदलीय बैठक आयोजित करती है।यद्यपि यह संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है, फिर भी दशकों से विकसित यह संसदीय परम्परा सरकार और विपक्ष के बीच संवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम रही है।इस बैठक में आगामी सत्र की कार्ययोजना,विधायी प्राथमिकताओं,जनहित से जुड़े मुद्दों तथा सदन को व्यवस्थित और सुचारु रूप से चलाने पर विचार-विमर्श किया जाता है। लोकतंत्र में संवाद की यह परम्परा ही राजनीतिक मतभेदों को संवैधानिक मयार्दाओं के भीतर बनाए रखने का आधार बनती है।20 जुलाई से प्रारम्भ हुए संसद के मानसून सत्र की शुरूआत इस बार सहमति के वातावरण में नहीं,बल्कि तीखे राजनीतिक मतभेदों के साथ हुई है।सत्र से पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी,तृणमूल कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के कई दलों ने उन सांसदों को आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई,जिन्होंने अपनी मूल राजनीतिक पार्टी से अलग होने की घोषणा की है अथवा जिनकी स्थिति दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अभी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है।विपक्ष ने इसे संसदीय मयार्दाओं के विपरीत बताते हुए बैठक का बहिष्कार किया। सरकार का पक्ष है कि निमंत्रण संसदीय अभिलेखों और उपलब्ध आधिकारिक स्थिति के आधार पर भेजे गए हैं तथा इसमें किसी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है।यह विवाद केवल एक बैठक तक सीमित नहीं है।इसके पीछे भारतीय राजनीति में लगातार बढ़ता अविश्वास,दल -बदल की घटनाएँ, गठबंधनों का विघटन,राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे प्रश्न भी जुड़े हैं।विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष को कमजोर करने की दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति पर कार्य कर रहा है।सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहती है कि लोकतंत्र में प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को कानून के दायरे में राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार है तथा दल- बदल से जुड़े मामलों का अंतिम

निर्णय संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार संबंधित अध्यक्ष अथवा सभापति ही करते हैं।इस बार मानसून सत्र का महत्त्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि सरकार अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने अथवा पारित कराने की तैयारी में है।संसद की उपलब्ध कार्यसूची और सरकारी संकेतों के अनुसार आयकर(संशोधन) विधेयक,सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(संशोधन) विधेयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक,सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन)विधेयक तथा विदेशी अंशदान (विनियमन)अधिनियम में संशोधन जैसे विषय सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। हालाँकि संसद की कार्यसूची गतिशील होती है और कार्यमंत्रणा समिति अथवा सरकार के निर्णय के अनुसार इसमें परिवर्तन,नए विधेयकों का समावेश अथवा प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण भी संभव है।सरकार का दावा है कि इन विधेयकों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार,न्यायिक दक्षता,कर व्यवस्था का सरलीकरण,निवेश को प्रोत्साहन, सुशासन तथा पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ करना है।सरकार का यह भी कहना है कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विधायी सुधारों की गति बनाए रखना समय की आवश्यकता है।यही कारण है कि मानसून सत्र को सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्त्वपूर्ण विधायी सत्रों में से एक मान रही है।दूसरी ओर राजनीतिक विमर्श का सबसे संवेदनशील विषय संविधान संशोधन,परिसीमन तथा महिला आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन बना हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है,किन्तु उसका वास्तविक क्रियान्वयन नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही संभव है।विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के बजाय भविष्य की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। सरकार का कहना है कि संविधान के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमन के बिना आरक्षण लागू करना संभव नहीं है।स्पष्ट है कि यह विषय राजनीतिक बहस के साथ-साथ संवैधानिक व्याख्या का भी प्रश्न बन चुका है।परिसीमन आने वाले वर्षों की भारतीय राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषय बनता दिखाई दे रहा है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व में परिवर्तन की संभावना है।दक्षिण भारत के अनेक राज्यों और क्षेत्रीय दलों ने पहले ही आशंका व्यक्त की है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त करने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।दूसरी ओर उत्तर भारत के राज्य समान जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसलिए परिसीमन केवल चुनावी गणित का विषय नहीं, बल्कि संघीय ढाँचे,क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना से जुड़ा संवेदनशील प्रश्न बन गया है।मानसून सत्र में विपक्ष की रणनीति भी लगभग स्पष्ट दिखाई दे रही है।विपक्ष संसद के भीतर सरकार को भ्रष्टाचार,बेरोजगारी, महँगाई,कृषि संकट,राज्यों के अधिकार,संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता,जाँच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग,दल-बदल, सामाजिक न्याय तथा महिला आरक्षण के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर घेरने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त लद्दाख को संवैधानिक संरक्षण,छठी अनुसूची के प्रावधानों तथा पर्यावरणीय संरक्षण की माँग को लेकर सोनम वांगचुक द्वारा चलाए गए आंदोलन को भी विपक्ष राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाने का प्रयास करेगा।सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जनप्रतिनिधित्व अब केवल क्षेत्रीय मुद्दे नहीं,बल्कि राष्ट्रीय नीति के अभिन्न अंग बन चुके हैं।भ्रष्टाचार का प्रश्न भी इस सत्र में प्रमुखता से उठ सकता है।विपक्ष विभिन्न सरकारी निर्णयों, सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा राजनीतिक जवाबदेही को लेकर सरकार से प्रश्न पूछने की तैयारी में है।वहीं सरकार डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण,सरकारी खरीद की ई-प्रणाली, जीएसटी, डिजिटल प्रशासन तथा तकनीक आधारित पारदर्शिता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। स्वाभाविक है कि इस विषय पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद केवल बहुमत का मंच नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद107 से 111 तक विधेयकों की संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख है,जबकि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है।इसी प्रकार दसवीं अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून का आधार है।इन प्रावधानों का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक स्थिरता,जनादेश की रक्षा और संसदीय मयार्दाओं को सुरक्षित रखना है।यदि राजनीतिक विवादों का समाधान इन्हीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है; किन्तु यदि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ता है,तो उसका प्रभाव लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दूरगामी होता है।यह भी स्मरण रखना होगा कि संसद का दायित्व केवल विधेयक पारित करना नहीं है।संसद सरकार से प्रश्न पूछती है,नीतियों की समीक्षा करती है,सार्वजनिक धन के उपयोग पर निगरानी रखती है तथा जनता की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय नीति में स्थान देती है।इसलिए संसद का प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा राष्ट्र की अमूल्य लोकतांत्रिक पूँजी है। यदि पूरा सत्र केवल हंगामे, नारेबाजी और स्थगन की भेंट चढ़ जाता है,तो सबसे बड़ा नुकसान जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को होता है।

आज भारत महँगाई,रोजगार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता,जलवायु परिवर्तन,कृषि सुधार,राष्ट्रीय सुरक्षा,साइबर सुरक्षा,शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समरसता जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन विषयों पर गंभीर संसदीय विमर्श की अपेक्षा केवल विपक्ष या सरकार की नहीं,बल्कि पूरे राष्ट्र की है। जनता चाहती है कि संसद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच अवश्य बने,किन्तु राष्ट्रीय समाधान का केन्द्र भी बनी रहे। 20 जुलाई से प्रारम्भ हुआ यह मानसून सत्र केवल सरकार के विधायी एजेंडे अथवा विपक्ष के राजनीतिक प्रतिरोध तक सीमित नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता,संसदीय परम्पराओं और संवैधानिक मूल्यों की भी परीक्षा है।सरकार के सामने चुनौती है कि वह अपने बहुमत का उपयोग संवाद, सहमति और संवैधानिक मयार्दाओं के साथ करे,जबकि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह तथ्य,तर्क और जनहित के आधार पर अपनी भूमिका निभाए।लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बहुमत नहीं,बल्कि संविधान के प्रति सामूहिक आस्था है।अंततः संसद किसी एक दल,गठबंधन या सरकार की नहीं,बल्कि भारत की जनता की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक गुण हैं,परन्तु संवाद उसका प्राण है।यदि यह मानसून सत्र राजनीतिक संघर्ष के बीच भी राष्ट्रीय सहमति का मार्ग प्रशस्त करता है,तो यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का नया अध्याय सिद्ध होगा।यदि संवाद की जगह केवल टकराव ले लेता है,तो इतिहास इसे एक खोए हुए अवसर के रूप में भी दर्ज करेगा। लोकतंत्र की वास्तविक विजय सत्ता की नहीं,बल्कि संसद की गरिमा,संविधान की प्रतिष्ठा और जनविश्वास की विजय होती है।

संपादकीय

भारत पर 100 फीसदी टैरिफ!

राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का खेल फिर शुरू कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस (संसद) में एक बिल पेश किया गया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले पांच देशों-भारत, चीन, हंगरी, अजरबैजान, स्लोवाकिया-पर 100 फीसदी टैरिफ थोपने का प्रावधान है। संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स सांसद बिल पारित करने के पक्ष में हैं, क्योंकि वे रूस की अर्थव्यवस्था को अधिक कमजोर करना चाहते हैं। बिल के मसविदे में 500 फीसदी टैरिफ का प्रस्ताव था, जिसे घटा कर 100 फीसदी किया गया है। यदि अमरीकी संसद में यह बिल पारित किया जाता है, तो भारत पर 100 फीसदी टैरिफ के अलावा, 12.5 फीसदी बाल-मजदूरी का टैरिफ और 18 फीसदी सामान्य टैरिफ, कुल मिला कर 130.5 फीसदी टैरिफ लागू हो सकता है। अमरीका ने हमारे तांबा, इस्पात, एल्युमीनियम पर 50 फीसदी टैरिफ और सेमीकंडक्टर तथा ऑटो पार्ट्स पर 25-25 फीसदी टैरिफ थोप रखा है। यदि 100 फीसदी टैरिफ लागू हो गया, तो भारत अमरीका को जो सालाना 6.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है, वह प्रभावित होगा। रूस से कच्चा तेल खरीद कर भारत सालाना 60,000 करोड़ रुपए की बचत करता है, लेकिन टैरिफ लागू होने से 10 गुना अधिक निर्यात पर पलीता लग सकता है। भारत के 2.1 लाख करोड़ रुपए के फार्मा, वस्त्र, हीरे के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। आखिर अमरीका के साथ 'माई डियर फ्रेंड' वाली दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी का सच यही है कि हम टैरिफ की मार लगातार झेलते रहें? राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशानुसार ही तेल, गैस के आयात करें? यदि वह रूसी तेल की खरीद के लिए छूट दे, तो बल्लियां उछलते रहें और रूस से खुल कर खरीददारी करें? ट्रंप होते कौन हैं, क्या दुनिया भर के 'चौधरी' हैं, ठेकेदार हैं, जो भारत जैसे संप्रभु देश और दुनिया के सबसे बड़े बाजार को हांकते रहते हैं? हमारी सरकार और नेतृत्व गुमसुम क्यों रहते हैं? ब्राजील जैसे छोटे देश के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा अमरीका को टका-सा जवाब दे सकते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे अधिक आबादी का देश-भारत-अमरीकी राष्ट्रपति के फरमान सुनने और पालन करने को विवश है?

चिंतन-मनन

कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है जीव

ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीवविशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। चूंकि इस प्रकार वह आत्मा देहांतरण कर जाता है, अत उसे अपने विगत (पूर्वकृत) कर्मो का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मो के सारे फल बदल जाते हैं। इसीलिए हमने यह कहा है कि पांच तत्वों- ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शात हैं, कर्म शात नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान हैं- भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांतिमूलक है। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं- जब वे इस भौतिक वि में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि वे भगवद्गीता में बोलते हैं। भौतिक कल्मष-ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य-जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित (दूषित) नहीं हैं। भगवद्गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है।

सीबीएन मध्य प्रदेश इकाई की नशा विरोधी कार्रवाई : मंदसौर एवं नीमच में 1,093.090 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त, 03 आरोपी गिरफ्तार

नीमच 21 जुलाई (निप्र)। नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध जारी अभियान के क्रम में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), मध्य प्रदेश इकाई द्वारा 20 जुलाई 2026 को दो अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 1,093.090 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा (Poppy Straw) जब्त किया गया। इन कार्रवाइयों में एक मकान से डोडाचूरा को पाउडर के रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जा रही 01 चक्की तथा अन्य कार्रवाई में तस्करी में प्रयुक्त 01 मारुति सुजुकी अर्टिगा कार एवं 01 टीवीएस स्टार सिटी प्लस मोटरसाइकिल जब्त की गई। दोनों मामलों में कुल 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण-1: ग्राम आकली, जिला मंदसौर में 898.180 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त, 01 आरोपी गिरफ्तार

विशिष्ट आसूचना के आधार पर कि जिला मंदसौर, तहसील मल्हारगढ़ के ग्राम आकली निवासी एक व्यक्ति द्वारा अवैध डोडाचूरा की तस्करी की जा रही है तथा बड़ी मात्रा में अवैध डोडाचूरा को अपने आवासीय परिसर में संग्रहित कर उसे चक्की के माध्यम से पीसकर डोडाचूरा पाउडर के रूप में तस्करी करने की तैयारी की जा रही है, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की मंदसौर सेल, नीमच, गरोठ सेल, मंदसौर द्वितीय खंड एवं मंदसौर तृतीय खंड के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की गई।

संयुक्त टीम द्वारा 20 जुलाई 2026 की अलसुबह कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आवास की सफलतापूर्वक पहचान कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मकान के विभिन्न कमरों से कुल 46 बोरियों में रखा 898.180 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त डोडाचूरा को पीसकर पाउडर बनाने के उद्देश्य से उपयोग की जा रही 01 चक्की भी बरामद की गई।

कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात बरामद अवैध डोडाचूरा एवं अन्य सामग्री को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत जब्त कर लिया गया तथा मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण-2: मानसारामपुरा बाईपास रोड पर 194.910 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त, 02 आरोपी गिरफ्तार

नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान को जारी रखते हुए, विशिष्ट आसूचना के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), नीमच तृतीय खंड के अधिकारियों की एक निवारक टीम गठित कर 20 जुलाई 2026 को कार्रवाई के लिए रवाना की गई।

प्राप्त विशिष्ट सूचना के अनुसार एक मारुति सुजुकी अर्टिगा कार में ग्राम पिपलोन से मनासा शहर की ओर अवैध डोडाचूरा ले जाया जा रहा था तथा एक काले एवं लाल रंग की टीवीएस स्टार सिटी प्लस मोटरसाइकिल द्वारा उक्त वाहन को पायलट किया जा रहा था।

सीबीएन अधिकारियों की टीम द्वारा संदिग्ध मार्ग पर निगरानी रखी गई तथा दोनों वाहनों की सफलतापूर्वक पहचान किए जाने के बाद मनासा-रामपुरा बाईपास रोड, ग्राम पिपलोन के पास, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) में पायलटिंग कर रही मोटरसाइकिल एवं उसके सवार तथा अर्टिगा कार एवं उसके सवार को सफलतापूर्वक रोककर उनकी जांच की गई।

मारुति सुजुकी अर्टिगा कार की गहन तलाशी के दौरान 10 काले रंग की प्लास्टिक बोरियों एवं 01 सफेद कपड़े की बोरी में कुल 194.910 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ। डोडाचूरा की तस्करी में पायलट वाहन के रूप में प्रयुक्त टीवीएस स्टार सिटी प्लस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया।

कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात बरामद अवैध डोडाचूरा एवं दोनों वाहनों को NDPS Act, 1985 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत जब्त कर लिया गया तथा 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

दोनों प्रकरणों में आगे की जांच जारी है, जिसके दौरान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं नेटवर्क के संबंध में भी जांच की जा रही है।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश इकाई मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई करता रहेगा।

नशे के खिलाफ 200 कर्मचारी हुए एकजुट

धानुका फैक्ट्री में बनी मानव श्रृंखला 'NO TO DRUGS' का दिया संदेश

नीमच । मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' जन-जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को नारकोटिक्स प्रकोष्ठ नीमच ने धानुका फैक्ट्री परिसर में नशा मुक्ति को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में फैक्ट्री के करीब 200 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नशे के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया।

कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने विशाल मानव श्रृंखला (ह्यूमन चेन) बनाकर 'NO TO DRUGS' का संदेश दिया और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। अभियान का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था।

नारकोटिक्स प्रकोष्ठ नीमच के निरीक्षक बलराम सिंह रघुवंशी ने उपस्थित कर्मचारियों को नशे के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। कार्यक्रम के अंत में सभी कर्मचारियों को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ दिलाई गई।यह अभियान पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, एडीजी (नारकोटिक्स) डी. श्रीनिवास वर्मा एवं डीआईजी कुमार प्रतीक के नेतृत्व में प्रदेशभर में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में नारकोटिक्स प्रकोष्ठ की टीम के उप निरीक्षक किरण शर्मा, प्रधान आरक्षक आशीष शुक्ला, आरक्षक प्रशांत कैथवास और आरक्षक राहुल जैन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एसप्रेसो कार मे तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार

41 किलो 200 ग्राम अवेध मादक पदार्थ डोडाचुरा मय कार के जप्त

नीमच । मध्यप्रदेश शासन व पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर पर चलाये जा रहे नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला नीमच श्री राजेश व्यास के कुशल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमति हेमलता अग्रवाल व अनुविभागीय अधिकारी मनासा श्रीमति शाबेरा अंसारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनासा श्री निलेश अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस टीम मनासा ने एसप्रेसो कार मे तस्करी करते एक आरोपी पप्पुलाल पिता छगनलाल गेहलोत जाति नाई निवासी बोरखेड़ी पाणेरी थाना नीमच सिटी के कब्जे से 41 किलो 200 ग्राम अवेध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया जिसमे आरोपी से अन्य साथी आरोपीयो के संबंध मे पुछताछ की जा रही है ।

दिनांक 20.07.2026 को मुखबीर सुचना के आधार पर डिकेन वाले भेरू बावजी अखेपुर बावडा फंटा पर नाकाबंदी कर सफेद रंग की एसप्रेसो कार आरजे 27 सीएल 8706 मे आरोपी पप्पुलाल पिता छगनलाल गेहलोत जाति नाई निवासी बोरखेड़ी पाणेरी थाना नीमच सिटी के कब्जे से 41 किलो 200 ग्राम अवेध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना मनासा पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध गया।

सराहनीय भुमिका - उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक निलेश अवस्थी, सउनि दिलीप कुमार, प्रआर 348 नरेन्द्र मालवीय, आर 112 विजयपाल सिंह, आर. अंकित राठौर, आर. दशरथ जाटव,आर अंकित जोशी, आर कुशलपाल जाट की सराहनीय भुमिका रही।

ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष के आध्यात्मिक रहस्य

हर धर्म में पेड़, पौधे और वृक्षों का बहुत महत्व है, परंतु इसको कोई महत्व नहीं देता है। जिस देजी से वृक्ष कटते जा रहे हैं उससे धरती का पर्यावरण ही नहीं बदल रहा है बल्कि जीवन में संकट में हो चला है। धरती पर ऑक्सीजन का निर्माण करने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्ष नहीं होंगे तो एक दिन वायु भी नहीं होगी और वायु नहीं होगी तो फिर मानव भी नहीं होगा। आओ जानते हैं वृक्ष के 20 रहस्य।

- शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, दस इमली, तीन कैथ, तीन बेल, तीन आंवला और पांच आम के वृक्ष लगाता है, वह पुण्यात्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। इसी तरह धर्म शास्त्रों में सभी तरह से वृक्ष सहित प्रकृति के सभी तत्वों के महत्व की विवेचना की गई है।
- भारतीय धर्म मानता हैं कि प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। प्रकृति के सारे तत्व ईश्वर के होने की सूचना देते हैं। इसीलिए प्रकृति को देवता, भगवान और पितृ माना गया है। यहां प्रत्येक देवी और देवता से एक वृक्ष, एक पशु या एक पक्षी जुड़ा हुआ है। यहां तक की ग्रह और नक्षत्र भी जुड़े हुए हैं। धर्म मानता है कि दूरस्थ स्थिति ध्रुव तारा भी हमारे जीवन को संचालित कर रहा है। फिर हिमालय के ग्लेशियर और चंद्रमा के तो कहने ही क्या। संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक कड़ी टूटी तो सबकुछ बिखर जाएगा। यह ब्रह्मांड उल्टे वृक्ष की भांति है।
- धर्मानुसार पांच तरह के यज्ञ होते हैं जिनमें से दो यज्ञ- देवयज्ञ और वैश्वदेवयज्ञ प्रकृति को समर्पित है। दोनों ही तरह के यज्ञों का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। देवयज्ञ से जलवायु और पर्यावरण में सुधार होता है तो वैश्वदेवयज्ञ प्रकृति और प्राणियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्त्तव्य समझना उन्हें अन्न-जल देना ही भूतयज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है।
- हिन्दू धर्मानुसार वृक्ष में भी आत्मा होती है। वृक्ष संवेदनशील होते हैं और उनके शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। प्रत्येक वृक्ष का गहराई से विश्लेषण करके हमारे ऋषियों ने यह जाना की पीपल और वट वृक्ष सभी वृक्षों में कुछ खास और अलग है। इनके धरती पर होने से ही धरती के पर्यावरण की रक्षा होती है। यही सब जानकर ही उन्होंने उक्त वृक्षों के संवरक्षण और इससे मनुष्य के द्वारा लाभ प्राप्ति के हेतु कुछ विधान बनाए गए उन्ही में से दो है पूजा और परिक्रमा।
- स्कन्द पुराण में वर्णित पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास है। पीपल की छाया में ऑक्सीजन से भरपूर आरोग्यवर्धक वातावरण निर्मित होता है। इस वातावरण से वात, पित्त और कफ का शमन-नियमन होता है तथा तीनों स्थितियों का संतुलन भी बना रहता है। इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। पीपल की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।
- अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधीय

गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है। औषधीय गुणों के कारण पीपल के वृक्ष को 'कल्पवृक्ष' की संज्ञा दी गई है। पीपल के वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तक तैंतीस कोटि देवताओं का वास होता है और इसलिए पीपल का वृक्ष प्रात: पूजनीय माना गया है। उक्त वृक्ष में जल अर्पण करने से रोग और शोक मिट जाते हैं। पीपल की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इसके कई पुरातात्विक प्रमाण भी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, 'हे पार्थ वृक्षों में मैं पीपल हूं।' अश्वत्थोपनयन व्रत के संदर्भ में महर्षि शौनक कहते हैं कि मंगल मुहूर्त में पीपल वृक्ष की नित्य तीन बार परिक्रमा करने और जल चढ़ाने पर दरिद्रता, दु:ख और दुर्भाग्य का विनाश होता है। पीपल के दर्शन-पूजन से दीर्घायु तथा समृद्धि प्राप्त होती है। अश्वत्थ व्रत अनुष्ठान से कन्या अखण्ड सौभाग्य पाती है। सड़क के किनारे पीपल का वृक्ष लगाने, तथा उसका पालन करने वाला देवलोक प्राप्त करता है। पीपल के वृक्षों का रोपण करने वाला इस लोक में तो कीर्ति प्राप्त करता है, मृत्युपरांत भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है।

- बरगद को वटवृक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में वट सावत्री नामक एक त्योहार पूरी तरह से वट को ही समर्पित है। हिंदू धर्मानुसार चार वटवृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। संसार में उक्त चार वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है। प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है।
- **आम है खास :** हिंदू धर्म में जब भी कोई माँगलिक कार्य होते हैं तो घर या पूजा स्थल के द्वार व दीवारों पर आम के पत्तों की लड़ लगाकर मांगलिक उत्सव के माहौल को धार्मिक और वातावरण को शुद्ध किया जाता है। अक्सर धार्मिक पांडाल और मंडपों में सजावट के लिए आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। 5 या अधिक आम के वृक्षों का रोपण पालन करने वाला अनेक दुर्लभ यज्ञों के फल को प्राप्त कर सकता है।
- **भविष्यवक्ता शमी :** विक्रमादित्य के समय में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने अपने बृहतसंहिता' नामक ग्रंथ के 'कुसुमलता' नाम के अध्याय में वनस्पति शास्त्र और कृषि उपज के संदर्भ में जो जानकारी प्रदान की है उसमें शमीवृक्ष अर्थात खिजड़े का उल्लेख मिलता है। वराहमिहिर के अनुसार जिस साल शमीवृक्ष ज्यादा फूलता-फलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयादशमी के दिन इसकी पूजा करने का एक तात्पर्य यह भी है कि यह वृक्ष आने वाली कृषि विपत्ती का पहले से संकेत दे देता है जिससे किसान पहले से भी ज्यादा पुरुषार्थ करके आनेवाली विपत्ती से निजात पा सकता है।
- जो मनुष्य अपने घर में फलदार पेड़, पौधे आदि लगाता है और उसकी भली भांति देखभाल करता है, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है।
- जो मनुष्य 5 वट वृक्षों का रोपण और उसका पालन किसी चौराहे या मार्ग में करता है तो, उसकी सात पीढ़ियां तर जाती है। जो मनुष्य नीम के वृक्ष जितने अधिक लगाता है उतनी अधिक उसकी पीढ़ियां तर जाती है.
- वृक्षों के बाग या वाटिका लगाने वाला प्रसिद्धि प्राप्त करता है।
- जो भी व्यक्ति बिल्व वृक्ष का रोपण शिव मंदिर में करता है वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है।
- घर में तुलसी, आंवला, निर्गुण्डी, अशोक, आदि के वृक्ष शुभ फलदायी होते हैं। शीशम के 11 वृक्ष को सड़क पर लगाने से यह लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं।
- कनक चम्पा के 2 वृक्ष लगाने वाले का सर्वार्थ कल्याण हो जाता है।
- 5 या अधिक महुआ के वृक्षों का रोपण और पालन करने वाला धन प्राप्त करता है। तथा उसे अनुरूप यज्ञों का फल भी प्राप्त होने लगता है।
- जो भी मनुष्य सड़क के किनारे 2 या 2 से अधिक मौलश्री के वृक्षों का रोपण एवं पालन करता है। वह एक सौ यज्ञों को करने का पुण्य प्राप्त करता है।
- जो भी मनुष्य 5 या अधिक अशोक वृक्ष का रोपण और पालन करता है, उसके घर परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसके यहां अचानक कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं होती तथा उसे आगामी जन्म में पुण्यात्मा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
- जो मनुष्य 5 पलास के वृक्षों का रोपण और पालन करते हैं। उसे 10 गौवों के दान के समतुल्य पुण्य लाभ मिलता है। पलास के वृक्षों को सड़क के किनारे अथवा किसी बड़े क्षेत्र में रोपना चाहिए। इसका रोपण घर में नहीं करना चाहिए।
- जो भी मनुष्य 2 या अधिक हारसिंगार (पारिजात) के पौधों का रोपण श्री हनुमानजी के मंदिर में अथवा नदी के किनारे या किसी भी सामाजिक स्थल पर करता है तो उसे एक लक्ष्य तोला स्वर्णदान के समतुल्य पुण्य प्राप्त होता है तथा उसे जीवन भर श्री हनुमानजी की कृपा मिलती रहती है।
- जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रदोष वाले दिन, शिवरात्री को, श्रावणमास में किसी भी दिन अथवा शिवयोग वाले दिन 5 या अधिक बिल्व वृक्षों का रोपण और उसका नियमित पालन भी करता है तो उसे शिवलोक प्राप्त होता है। यदि इन वृक्षों को कोई भी मनुष्य शिव मंदिर में या मंदिर के समीप रोपण करता है तो निश्चय ही वह कोटि कोटि पुण्य का भागीदार तो होता ही है और उसे व उसके परिवार पर भगवान शिव की असीम अनुकम्पा भी प्राप्त होती है।

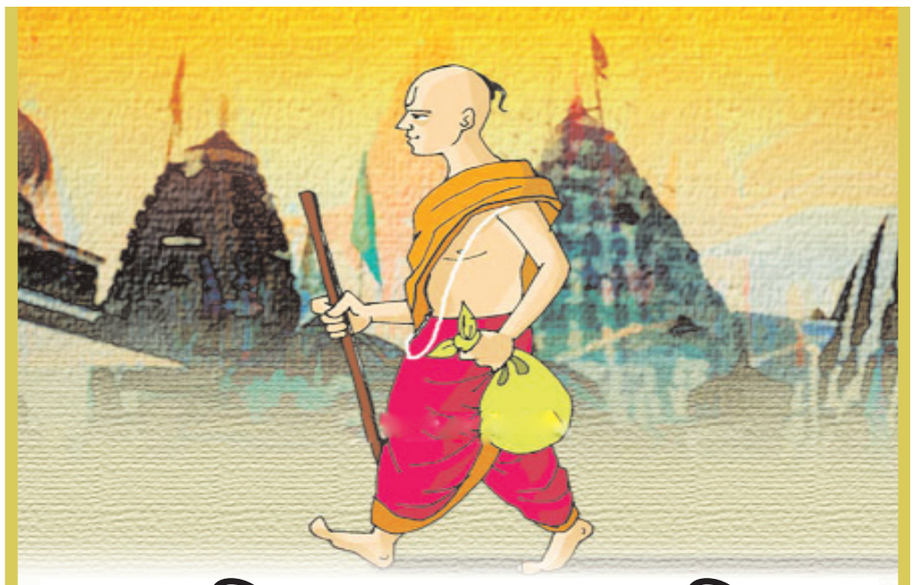

परिक्रमा या प्रदक्षिणा के 10 प्रकार

सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी ग्रहों को साथ लेकर यह सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। संपूर्ण ब्रह्माण में चक्र और परिक्रमा का बड़ा महत्व है। भारतीय धर्मों (हिन्दू, जैन, बौद्ध आदि) में पवित्र स्थलों के चारो ओर श्रद्धाभाव से चलना 'परिक्रमा' या 'प्रदक्षिणा' कहलाता है। आओ जानते हैं कि किन किन की परिक्रमा की जाती है या कितने प्रकार की परिक्रमा की जाती है। ये हैं प्रमुख 10 परिक्रमाएं -

देवमंदिर परिक्रमा
जैसे देव मंदिर में जगन्नाथ पुरी परिक्रमा, रामेश्वरम, तिरुवन्नमल, तिरुवनन्तपुरम, शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग आदि।

देव मूर्ति परिक्रमा
देवमूर्ति में शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु, हनुमान, कार्तिकेय आदि देवमूर्तियों की परिक्रमा करना।

नदी परिक्रमा
जैसे नर्मदा, सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरयु, क्षिप्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी परिक्रमा आदि।

पर्वत परिक्रमा
जैसे गोवर्धन परिक्रमा, गिरनार, कामदगिरि, मेरू पर्वत, हिमालय, नीलगिरी, तिरुमलै परिक्रमा आदि।

वृक्ष परिक्रमा
जैसे पीपल और बरगद की परिक्रमा करना।

तीर्थ परिक्रमा
जैसे चौरासी कोस परिक्रमा, अयोध्या, उज्जैन या प्रयाग पंचकोशी यात्रा, राजिम परिक्रमा, सप्तपुरी आदि।

चार धाम परिक्रमा
जैसे छोटा चार धाम (केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री) परिक्रमा या बड़ा चार धाम (बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम) यात्रा।

भरत खण्ड परिक्रमा
अर्थात संपूर्ण भारत की परिक्रमा करना। परिवाजक संत और साधु ये यात्राएं करते हैं। इस यात्रा के पहले क्रम में सिंधु की यात्रा, दूसरे में गंगा की यात्रा, तीसरे में ब्रह्मपुत्र की यात्रा, चौथे में नर्मदा, पांचवें में महानदी, छठे में गोदावरी, सातवें में कावेरी, आठवें में कृष्णा और अंत में कन्याकुमारी में इस यात्रा का अंत होता है। हालांकि प्रत्येक साधु समाज में इस यात्रा का अलग-अलग विधान और नियम है।

विवाह परिक्रमा
मनु स्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि के चारों ओर तीन बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है।

माता पिता की परिक्रमा
भगवान गणेशजी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी जिससे पता चलता है कि इस परिक्रमा का क्या महत्व है।

शव परिक्रमा
जब कोई किसी का अपना देह छोड़ देता है कि उसकी देह की परिक्रमा की जाती है। दाह संस्कार करते वक्त और करने के बाद मटकी से जल अर्पित करते वक्त भी परिक्रमा की जाती है।

धरती की परिक्रमा
एक बार देवताओं के बीच में धरती परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें जीते तो भगवान कार्तिकेय थे परंतु गणेशजी ने माता पिता की परिक्रमा करके यह प्रतियोगिता जीत ली थी।

ब्रह्मांड की परिक्रमा
यह परिक्रमा नारद जी करते रहते हैं।

किस देव की कितनी बार परिक्रमा?

- भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है।
- माता दुर्गा की एक परिक्रमा की जाती है।
- हनुमानजी और गणेशजी की तीन परिक्रमा की जाती है।
- भगवान विष्णु की चार परिक्रमा की जाती है।
- सूर्यदेव की चार परिक्रमा की जाती है।
- पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करना चाहिए।
- जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त होता है, उनकी तीन प्रदक्षिणा की जा सकती है।

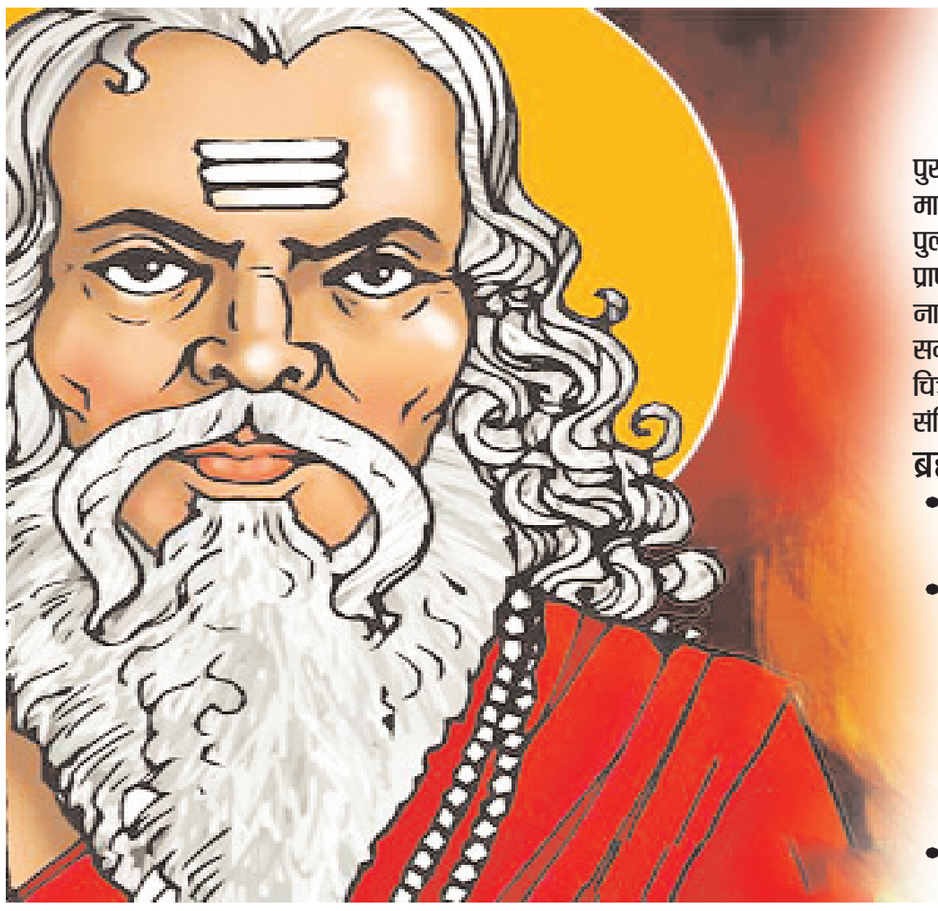

ब्रह्मा के पुत्र क्रतु ऋषि के थे 60 हजार पुत्र

पुराणों अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र- मन से मारिचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्भ, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार, शरीर से स्वायंभुव मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। आओ जानते हैं ऋषि अंगिरा के बारे मं संक्षिप्त में जानकारी।

ब्रह्मा के पुत्र कृतु ऋषि :

- कृतु या क्रतु का जन्म ब्रह्माजी के हाथ से हुआ था। क्रतु 16 प्रजापतियों में से एक हैं। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है।
- ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने दक्ष प्रजापति और क्रिया की पुत्री सन्नति से विवाह किया था। कहते हैं कि क्रतु और सन्नति से 'बालिखिल्य' नाम के 60 हजार पुत्र हुए। इन बालखिल्यों का आकार अंगूठे के बराबर माना जाता है। यह सभी पुत्र भगवान सूर्य के उपासक थे। सूर्य के रथ के आगे अपना मुख सूर्य की ओर किये हुए बालखिल्य चलते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। इन ब्रह्मर्षियों की तपस्या शक्ति सूर्यदेव को प्राप्त होती रहती है।
- पुराणों अनुसार एक बार महर्षि मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप एक यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने तात महर्षि क्रतु से निवेदन किया कि वे उस यज्ञ के लिए ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करें। अपने भतीजे के निवेदन पर महर्षि क्रतु अपने 60 हजार पुत्रों के साथ महर्षि कश्यप के यज्ञ में पधारे। उसी यज्ञ में देवराज इंद्र और महर्षि क्रतु के पुत्र बालखिल्यों में विवाद हो चला तब अपने पिता और महर्षि कश्यप द्वारा बीच-बचाव करने पर बालखिल्यों ने ही पक्षीराज गरुड़ को महर्षि कश्यप को पुत्र रूप में प्रदान किया था।
- पुराणों में महर्षि क्रतु की दो बहनों- पुण्य एवं सत्यवती का भी वर्णन मिलता है। महर्षि क्रतु और सन्नति की एक पुत्री का नाम भी पुण्य था। इसके साथ ही पर्वासा नाम की एक पुत्रवधु का भी वर्णन मिलता है।
- सर्वप्रथम वेद एक रूप में ही ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। बाद में महर्षि क्रतु ने ही वेदों के चार भाग करने में उनकी सहायता की थी। आगे चलकर वराहकल्प में क्रतु ऋषि ही महाभारत काल में वेद व्यास ऋषि हुए।
- मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव से महर्षि क्रतु अत्यंत प्रेम करते थे। जब अपने पिता से उपेक्षित होकर ध्रुव ने परमलोक की प्राप्ति करने की सोची तो सबसे पहे वो महर्षि क्रतु के पास गया। क्रतु ने ध्रुव को भगवान विष्णु की तपस्या करने की सलाह दी। बाद में देवर्षि नारद द्वारा अनुमोदन करने पर ध्रुव ने विष्णुजी की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से परमलोक को प्राप्त हुआ। क्रतु ऋषि नाम का एक तारा है जो ध्रुव की परिक्रमा करने में आज भी लीन है। ध्रुव के प्रति अपने प्रेम के कारण ही महर्षि क्रतु उसके समीप चले गए।
- पुराणों में महर्षि क्रतु को महर्षि अगस्त्य के वातापि भक्षण और समुद्र को पी जाने के कारण उनकी प्रशंसा करते हुए भी बताया गया है। कुछ ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि महर्षि क्रतु ने महर्षि अगस्त्य के पुत्र ईधवाहा को भी गोद लिया था। इसके अलावा महाराज भरत ने महर्षि क्रतु से देवताओं के चरित्र के विषय में प्रश्न किया था। तब महर्षि क्रतु ने उनकी इस शंका का समाधान किया था।
- क्रतु नाम से एक अग्नि का नाम भी है और श्रीकृष्ण और जाम्बवती के कई पुत्रों में से एक का नाम क्रतु था। प्लक्षद्वीप की एक नदी का नाम भी क्रतु है। क्रतु का एक अर्थ 'आषाढ़' भी होता है और वर्ष के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है।
- मैत्रेय संहिता के अनुसार एक बार यज्ञ से प्राप्त पशुओं का देवाताओं ने विभाजन कर दिया और उन्होंने रुद्र को उस विभाजन के हिस्से में शामिल नहीं किया तब रुद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में पूषणा के दन्त, भग के नेत्र और क्रतु के अंडकोषों को नष्ट हो गए। बाद में ब्रह्माजी ने उनकी स्तुति करके उन्हें शांत किया और उन्हें 'पशुपति' की उपाधि दी। फिर रुद्रदेव ने सभी को पहले जैसा कर दिया।

समय-सीमा समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ सख्त

लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और मैदानी सत्यापन के दिए निर्देश

नीमच । जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रक (टीएल) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, अनुकंपा नियुक्ति सहित विभिन्न प्रशासनिक विषयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में श्री वैष्णव ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का संवेदनशीलता एवं सहानुभूतिपूर्वक परीक्षण कर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र हितग्राही का प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने सभी विभागों को शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय रैंकिंग में सुधार लाने, 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने तथा अत्यधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में उन्होंने श्रम पदाधिकारी को प्लास्टिक फैक्ट्री में हुए हादसे की विस्तृत जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने तथा घायल श्रमिक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध निरंतर और प्रभावी अभियान चलाने के लिए कहा।

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए श्री वैष्णव ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि निराकृत रास्ता विवाद, अतिक्रमण हटाने तथा अन्य राजस्व मामलों का मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर नियमित निरीक्षण और सत्यापन से शासन की कार्यवाही अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनेगी।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री बी.एस. कलेश, एसडीएम नीमच श्री पराग जैन, एसडीएम जावद श्री संजीव साहू, एसडीएम मनासा सुश्री किरण आंजना, डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिंह धार्वे, सुश्री श्रुति भयडिया सहित जिले के समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

स्कूल बस चालकों का 7 दिन में कराए पुलिस वेरीफिकेशन नहीं तो होगी कार्रवाई : सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश

नीमच | जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सभी स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों के चालकों एवं परिचालकों का पुलिस चरित्र सत्यापन (वेरिफिकेशन) सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। समय-सीमा में सत्यापन नहीं कराने वाले स्कूल संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, यातायात थाना प्रभारी रक्षित निरीक्षक सोनू बड़गुर्जर सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। यातायात पुलिस ने सभी स्कूल संचालकों से कहा है कि बस चालकों एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन संबंधित थाने से कराकर उसकी प्रति सात दिनों के भीतर यातायात थाना नीमच में जमा कराएं। इसके साथ ही स्कूल वाहनों के दस्तावेज एवं चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की सूची भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आकस्मिक जांच के दौरान यदि किसी स्कूल बस का चालक या परिचालक बिना पुलिस सत्यापन के पाया गया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में भी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही किसी चालक या परिचालक की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में प्रदेश में स्कूल बस स्टाफ द्वारा बच्चों के साथ हुई आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि यदि किसी बस कर्मचारी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रबंधन की भी होगी। इसलिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को स्कूल बसों में नियुक्त नहीं किया जाए।

इसके अलावा स्कूल संचालकों को सुप्रीम कोर्ट की स्कूल बस सुरक्षा गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इनमें बस का पीला रंग, 40 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, इमरजेंसी डोर, प्रशिक्षित अटेंडेंट, वैध फिटनेस एवं परमिट सहित सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य बताया गया।

यातायात पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें तथा सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।

घर की पहली मंजिल पर फंदे से लटकी मिली विवाहिता

मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, जिला अस्पताल में देर तक हंगामा, पुलिस जांच में जुटी

नीमच । कैंट थाना क्षेत्र के कनावटी गांव में सोमवार दोपहर एक 35 वर्षीय विवाहिता का शव घर की पहली मंजिल पर फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही परिजन महिला को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

मृतका की पहचान रेखा (35) पत्नी सुरेश गाड़ी लोहार, निवासी कनावटी के रूप में हुई है। पति सुरेश गाड़ी लोहार के अनुसार घटना के समय वह घर पर नहीं था। बच्चों ने फोन कर सूचना दी कि रेखा कमरे में फंदे पर लटकी हुई है। सूचना मिलते ही वह घर पहुंचा और परिजनों की मदद से महिला को जिला अस्पताल लेकर आया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के मायके सतखंडा से भाई भेरूलाल गाड़ी लोहार सहित अन्य परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतका को लंबे समय से ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि पति का दूसरी शादी को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, जिस पर वर्ष 2015 में निंबाहेड़ा सदर थाने में समझौता कराया गया था। इसके बावजूद प्रताड़ना जारी रही और इसी के चलते महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया। मायके पक्ष ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोपों को लेकर जिला अस्पताल में देर शाम तक हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पैनल से पोस्टमार्टम कराने की तैयारी शुरू कर दी और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

कई जिलों में यलो अलर्ट, भारी बारिश की भी चेतावनी

भोपाल । 30 दिनों के इंतजार के बाद बारिश कब होगी, यह सवाल सभी पूछ रहे हैं। भोपाल स्थित मौसम विभाग की सोमवार को जारी ताजा रिपोर्ट की बात करें तो जल्द ही भिंड, मुरैना, अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर और टीकमगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जबकि प्रदेश के 45 जिलों में कहीं-कहीं झंझावत और वज्रपात और झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया है। मध्यप्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलने की उम्मीद है। पिछले दिनों मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई थी कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मध्यप्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलेगा और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन, अब भी लोग मानसून के दोबारा से सक्रिय होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को ताजा बुलेटिन जारी कर पूरे प्रदेश के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

नशे के खिलाफ बनेगा सख्त एक्शन प्लान

स्कूलों में चलेगा जागरूकता अभियान, हॉट स्पॉट क्षेत्रों पर रहेगी कड़ी निगरानी

नीमच | जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने और नशा मुक्ति अभियान को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और नशे के खिलाफ सख्त कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में अफीम, गांजा और भांग की अवैध खेती पर सघन निगरानी, अंतर्राज्यीय तस्करी से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा, स्कूलों और कॉलेजों में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा मादक फसलों से प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक विकास कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही जिले में संचालित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग, नशे के आदी लोगों की पहचान कर उन्हें उपचार एवं पुनर्वास से जोड़ने तथा नशा प्रभावित हॉट स्पॉट क्षेत्रों का चिन्हांकन कर वहां विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने पर भी सहमति बनी। बैठक में स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई, बेहतर सर्विलांस सिस्टम विकसित करने, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने तथा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर बी.एस. कलेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर श्रुति भादौरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी. प्रसाद, मनोवैज्ञानिक एवं नशा मुक्ति केंद्र के जीवन तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक ऐश्वर्य शर्मा के लिए माँ भगवती प्रिन्टर्स बंगला नं. 23, आईडीबीआई बैंक के सामने, नीमच, जिला-नीमच, मध्यप्रदेश से मुदित एवं प्रकाशित। सम्पर्क: 9407423966। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र नीमच होगा।